# उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड
# Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Ltd.

(U.P. GOVT UNDERTAKING)
ISO 9001 : 2008 (QMS) and ISO 14001 : 2004 (EMS) CERTIFIED

EPBX 2720671, 2720665, 2720670
Fax-0522-2720846

Website : http://www.uprnn.co.in

पंजीकृत कार्यालय :
विश्वेश्वरैया भवन, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226 010

**Registered Office :**
Vishweshwaraiya Bhawan, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010


संख्या 178/कैम्प–प्र.नि./गा०फा०/रा०नि०नि०/2017 दिनांक 17-4-2017

**समस्त अंचलीय महाप्रबन्धक (सि0 व वि0)**
उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0
..................................................

**अतिमहत्वपूर्ण**
**अनुस्मारक**

**अति0प्रबन्ध निदेशक(वि0)/**
महाप्रबन्धक(वाणिज्य)/महाप्रबन्धक(तक0)/
महाप्रबन्धक(कन्स0)/महाप्रबन्धक(यॉ0)
उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0
लखनऊ।

विषयः–समस्त कार्य एवं सामग्रियों का कय ई–टेण्डरिंग प्रकिया से किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिपत्र संख्या–159/कैम्प–प्र0नि0/गा0फा0/रानिनि/2017 दिनांक 9.4.2017 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि शासनादेश संख्या–350/23–7–2017 दिनांक 31.3.2017 के अनुसार ई–टेण्डरिंग प्रकिया से ही कार्यों का आबंटन एवं सामग्रियों का क्रय सुनिश्चित किया जाये। समस्त अंचलीय महाप्रबन्धक अपने अधीनस्थ इकाईयों पर उपरोक्त आदेशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे तथा यदि किसी इकाई पर उपरोक्त आदेशों का अनुपालन न किये जाने अथवा शिथिलता की स्थिति पायी जाती है तो सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध शख्त कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त सम्बन्ध में पूर्व में भी अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा समय–समय परिपत्र व अनुस्मारक पत्रांक–300/विविध–30/रानिनि/17 दि0 25.3.17 प्रेषित कर निर्देशित किया जाता रहा है कि मैनुवल प्रस्तर–102ए के अनुपालन में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर एवं व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए निर्धारित मानकों के अनुसार प्रतिस्पर्द्धात्मक एवं मितव्ययी दरों पर गुणवत्तायुक्त सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये।

इस कार्यालय के परिपत्र संख्या–159 दिनांक 9.4.2017 एवं पुनः अनुस्मारक पत्रांक–166/कैम्प–प्र0नि0/गा0फा0/रानिनि/17 दिनांक 13.4.2017 द्वारा विद्युत् सम्बन्धी कार्यो एवं सामग्रियों जैसे:–एल0ई0डी0लाइट,केबिल, वायर पैनल, जनरेटर, सी0सी0कैमरा, सी0सी0टी0वी0, मेडिकल गैसेज, एच0वी0ए0सी0, चिलर्स, सी0एस0एस0डी0, लॉड्री किचेन, ओ0टी0 इक्विपमेन्ट इत्यादि क्रय एवं कार्य सम्पादन हेतु शासनादेश दिनांक 31मार्च,2017 के अनुसार e-tender के माध्यम से न्यूनतम दरों का निर्धारण एवं भारत में निर्मित सामग्रियों की विशिष्टियॉ एवं उत्पाद् प्रयोग की जायें जिससे लागत में कमी एवं रख–रखाव में भी सुबिधा हो।

वाहय वास्तुविद द्वारा प्राविधानित किये जा रहे विशिष्टियों एवं मदों का भी कार्य सम्पादन से पूर्व परीक्षण किया जाना आवश्यक है। अंचलीय महाप्रबन्धक इस सम्बन्ध में परीक्षण/समीक्षा कर न्यूनतम दरों एवं औचित्यपूर्ण मदों/मात्राओं के अनुसार ही इकाईयों से कार्य सम्पादन सुनिश्चित करायेंगे। कार्यों में

(कमशः पेज दो)

लोक निर्माण विभाग एवं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों एवं उच्च गुणवत्तायुक्त सामग्रियों का प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये एवं यदि उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना पाई जाती है तो इसे गम्भीरता से लिया जाएगा।

भवदीय

(आर0के0गोयल)
प्रबन्ध निदेशक

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. वित्तीय परामर्शदाता, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।
2. कैम्प कार्यालय—प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।

प्रबन्ध निदेशक 17.4.17